

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 31 दिसम्बर, 2005 ई0 (पौष 10, 1927 शक संवत्)

भाग-1-क

नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

01 सितम्बर, 2005 ई0

सं0 653/59-1-2005-उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) की धारा 10 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 37 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड, बोर्ड की अधीनस्थ सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों की विनियमित करने की दृष्टि से एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:-

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड संशोधित अधीनस्थ सेवा

विनियमावली, 2014

भाग एक-सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधीनस्थ संशोधित सेवा

विनियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

भाग तीन-भर्ती

21 (5) भर्ती का स्रोत — सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती उन स्रोतों से की जायेगी जो परिशिष्ट "ख" के स्तम्भ-3 में सुसंगत पदों के सामने विनिर्दिष्ट है। सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं समय-समय पर इस नियमावली में शासन द्वारा किये गये संशोधन यथावत् लागू माना जायेगा।

भाग छः-नियुक्ति, परवीक्षा, स्थाईकरण और ज्येष्ठता

21—ज्येष्ठता—(5) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधन यथावत् लागू होंगे।

भाग सात-वेतन आदि

24—दक्षतारोक समाप्त होने के कारण इस प्रस्तर को नियमावली से हटाया गया।

भाग 8-अन्य उपबन्ध

26—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे तथा निम्न नियम भी लागू होंगे—

- (1) यू.पी. फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, वाल्यूम 2, भाग 2 से 4 में उल्लिखित फण्डामेन्टल तथा सब्सी डियरी रूल्स।
- (2) सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स।
- (3) उत्तर प्रदेश गर्वन्मेन्ट सर्वेन्ट्स कन्डेक्ट रूल्स 1956।
- (4) उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, वाल्यूम-3 में उल्लिखित यात्रा एवं दैनिक भत्ता संबंधी रूल्स।

(5) उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल हैण्ड बुक वाल्यूम-5

- (6) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स ।
- (7) यू.पी. रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 ।
- (8) यू.पी. न्यू फ़ैमिली पेंशन रूल्स 1965 ।
- (9) यू.पी. जनरल प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स 1935 ।
- (10) यू.पी. गर्वन्मेन्ट मेडिकल अटेन्डेन्ट रूल्स ।

**(11) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक
गोपनीय रिपोर्ट के विरुद्ध
प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा)
नियमावली 1995**

(12) यू.पी. रिटायरमेंट बेनीफिट्स मेडिकल अटेन्डैन्ट रूल्स।

(13) बोर्ड अधिनियम में दी गयी परिभाषायें इस विनियमावली के लिये भी यथावत् प्रयुक्त होंगी।

(14) वेतन व भत्तों के मामलों में बोर्ड के कर्मचारी उस वेतनक्रम में अपना वेतन पायेंगे, जो उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरणिका में स्वीकृत होंगे, परन्तु जब वेतनक्रमों का शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षण किया जायेगा तो बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुनरीक्षित वेतनक्रम उसी प्रकार उसी तिथि से स्वमेव देय होंगे जिस प्रकार समान स्तर व प्रारूप के पदों पर नियुक्त राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनक्रम देय होंगे।

(15) उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत शासनादेशानुसार मंहगाई भत्ता, आवास, किराया भत्ता व अन्य सुविधायें जो राज्य कर्मचारियों को देय है तथा शासन के आदेशानुसार जो सुविधायें राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर देय होंगी वे सभी सुविधायें बोर्ड के कर्मचारियों को भी उनके पदों व स्तर के अनुरूप समान रूप से स्वमेव देय होंगी।

(16) सरकारी सेवक द्वारा त्याग-पत्र की नियमावली कार्मिक अनुभाग-1 सं0-13/3/99-क-1-2000 दिनांक 26.06.2000 एवं समय-समय पर संशोधन लागू होगा।